

क./भा.भु.यो/2019/03-प्याज/३९२६
प्रति

भोपाल, दिनांक २७ मई, 2019

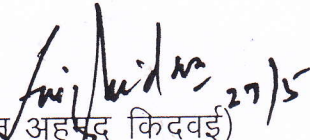
तकनीकी निदेशक
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
विन्ध्याचल भवन भोपाल

- विषय :- मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 अंतर्गत ई-प्रवेश पर्ची एवं विक्रय संव्यवहारों को पोर्टल पर दर्ज किये जाने की व्यवस्था करने के संबंध में।
- संदर्भ :- म.प्र.शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/58 दिनांक 30 मार्च 2019

म.प्र.शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/58 दिनांक 30 मार्च 2019 से मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना लागू की गई है योजना अन्तर्गत पंजीकृत कृषको द्वारा अधिसूचित मंडियों में 01 जून 2019 से 30 जून 2019 तक प्याज का विक्रय किया जा सकेगा।

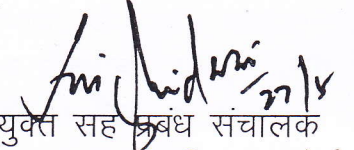
2. योजना अन्तर्गत मंडी प्रांगण में किए जाने वाले विक्रय संव्यवहारों हेतु ई-प्रवेश पर्ची अनिवार्य रहेगी। ई-प्रवेश पर्ची मोबाईल एप/वेब आधारित होगी। प्रत्येक ई-प्रवेश क्रमांक यूनिक होगा। कृषि उपज लाने वाले वाहन का पंजीयन क्रमांक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसका फोटो सिस्टम पर अपलोड करने की व्यवस्था हो। योजना में प्याज के विक्रय संव्यवहारों यथा-अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक को इन्द्राज करने हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।

3. मंडी प्रांगण में किए जाने वाले विक्रय संव्यवहार में प्रवेश पर्ची का नम्बर (यूनिक आईडी नम्बर) अनिवार्यतः दर्ज किया जाना है। मंडी प्रांगण में प्रवेश के समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/स्मार्ट फोन आधारित एप अथवा प्रवेश क्रमांक प्रदाय किया जावेगा। यह प्रवेश क्रमांक प्रत्येक किसान को तथा प्रत्येक वाहन को प्रदाय किया जावेगा। अर्थात् यदि एक वाहन में एक से अधिक कृषकों की उपज लाई गई है तो प्रत्येक कृषक के लिए पृथक-पृथक प्रवेश क्रमांक प्रदाय किया जावेगा। साथ ही यदि एक कृषक एक से अधिक बार उपज लाता है तो प्रत्येक वाहन की प्रवेश पर्ची एवं प्रवेश क्रमांक पृथक-पृथक प्रदाय किया जावेगा। प्रत्येक प्रवेश क्रमांक यूनिक होगा जिसकी आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।


(फैज अहमद किदवाई)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2. अपर संचालक (नियमन), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. चीफ प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/एप डिजाइन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
5. संयुक्त संचालक भंडारण की ओर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु।
6. संयुक्त/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय- भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा
7. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति -जिला -
(समस्त)


आयुक्त सह क्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल